संख्या-64/2016/831/22-2-2016-42जी/2015

प्रेषक,

देबाशीष पण्डा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उ0 प्र0, लखनऊ।

2- समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

4- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5- समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, केन्द्रीय/आदर्श/जिला कारागार, उ0प्र0।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 09 जून, 2016***

विषय:- क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी0 श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2015 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी0 श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 09.07.2014 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई सम्बन्धी राज्यों की शक्तियों के प्रयोग किये जाने पर रोक लगा दी गयी थी। मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ने उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 23.07.2015 द्वारा उक्त स्थगन आदेश दिनांक 09.07.2014 को कतिपय शर्तो के अधीन संशोधित कर दिया गया था, जिसके अनुपालन में शासनादेश संख्या-645/22-2-2015-42जी/2015 दिनांक 18.08.2015 द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 23.07.2005 के प्रस्तर-4,5 व 7 में उल्लिखित शर्तो के अधीन आजीवन कारावास से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई का प्रस्ताव महानिरीक्षक, कारागार को उपलब्ध कराने तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन निर्गत किया था।

2- प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय दिनांक 02.12.2015 के पारित होने के उपरान्त मा0 उच्चतम न्यायालय का अन्तरिम आदेश दिनांक 09.07.2014 तथा 23.07.2015 अब प्रभावी नहीं है तथा समयपूर्व रिहाई के प्रकरणों का निस्तारण मा0 उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2015 के अनुरूप किया जाना चाहिए।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विधिक परामर्श के आलोक में उक्त शासनादेश दिनांक 18.08.2015 को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। मा0 उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा दिनांक 02.12.2015 को पारित निर्णय के दृष्टिगत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आजीवन कारावास से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई का प्रस्ताव महानिरीक्षक, कारागार को उपलब्ध कराये ताकि महानिरीक्षक कारागार यथास्थिति प्रोबेशन बोर्ड/सलाहकार समिति/दया याचिका समिति की संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन के विचारार्थ उपलब्ध करा सके।

भवदीय,

(देबाशीष पण्डा)
प्रमुख सचिव।

संख्या-64/2016/831(1)/22-2-2016--तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव,श्री राज्यपाल,उत्तर प्रदेश।
2- प्रमुख सचिव,मा0 मुख्यमंत्री,उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव,न्याय एवं विधि परामर्शी,उत्तर प्रदेश।
4- समस्त परिक्षेत्रीय कारागार, उपमहानिरीक्षक उत्तर प्रदेश।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।